न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत : तालवा, कैम्प दिनांक 04.06.2018

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 98/2017 **दायर तारीख :–** 17.10.2017

1. झूंथाराम पुत्र सुजा जाति गुर्जर निवासी गुढा बैजनाथपुरा, तहसील विराटनगर

—— प्रार्थी

बनाम

1. भागीरथ }
2. रामेश्वर } पुत्रान कन्हैयालाल } जाति गुर्जर निवासी गुढा बैजनाथपुरा तहसील विराटनगर
3. हनुमानसहाय }
4. रामकरण पुत्र जवाहर }
5. तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्थायी सीमा निर्धारण

उपस्थित : श्री मदनलाल जाट, अधिवक्ता प्रार्थी
श्री आनन्दसिंह शेखावत, अधिवक्ता अप्रार्थीगण
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 04.06.2018

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम गुढा बैजनाथपुरा के खसरा नम्बर 112/0.72, 113/0.03, 342/1.78, 367/0.07, 368/0.69 हैक्टेयर किता 5 कुल रकबा 3.29 हैक्टेयर की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 का प्रार्थी की आराजी से कभी कोई संबंध नहीं रहा है, उक्त अप्रार्थीगण, प्रार्थी की खातेदारी भूमि के पडौस स्थित भूमि को काश्त करते है। अप्रार्थीगण, अप्रार्थी की खातेदारी भूमि की सींव डौल को लेकर विवाद करते है, जिससे परेशान होकर प्रार्थी ने दिनांक 11.10.2017 को अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाया है, लेकिन अप्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान को मानने से इन्कार करते हैं, तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि की सींव डौल तोडने पर आमादा है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम गुढा बैजनाथपुरा खसरा नम्बर 112/0.72, 113/0.03, 342/1.78, 367/0.07, 368/0.69 हैक्टेयर की मय पुलिस जाप्ता पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश फरमावें।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भिक आपत्ति पेश की। पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी संवत् 2072–2075, नकल फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान 11.10.2017 आदि पेश किये।
4. अप्रार्थीगण प्रारम्भिक आपत्ति रही कि आराजी मुतनाजा की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है, परन्तु आराजी पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से पूर्व राजस्व वाद भैंरू बनाम गोपी विचाराधीन है, जिसमें कब्जा काश्त एवं साबिक खसरा गिरदावरीयों के आधार पर घोषणा खातेदारी चाही गई है। पक्षकारों के मध्य मात्र सीमा विवाद ही नहीं है, अपितु कब्जा काश्त का विवाद भी है, ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। धारा 128 एल.आर. एक्ट मे स्पष्ट है कि जहां विवाद नहीं हो, वहीं ऐसे आवेदनों का निपटारा किया जा सकेगा, जबकि आवेदित भूमि पर अप्रार्थीगण काबिज काश्त है। अतः अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुनवाई किये जाने से पूर्व मौका एवं कब्जा काश्त की रिपोर्ट मंगवाई जाकर प्रार्थीगण को सुना जावे।
5. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट तालवा में पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को मजमे आम सुना गया।
6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं उभय पक्ष के निवेदन पर मनन किया गया। ग्राम गुढा बैजनाथपुरा के खसरा नम्बर 112/0.72, 113/0.03, 342/1.78, 367/0.07, 368/0.69 हैक्टेयर किता 5 कुल रकबा 3.29 हैक्टेयर की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी का तर्क रहा कि मौके प्रार्थी ने दिनांक 11.10.2017 को तहसीलदार विराटनगर के आदेश से सीमाज्ञान करवाया है, उक्त सीमाज्ञान को अप्रार्थीगण मानने से इन्कार करते हैं। अतः आराजी की पत्थरगढी करवायी जावे। अप्रार्थीगण का निवेदन रहा कि आराजी पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है, प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अप्रार्थीगण की प्रारम्भिक आपत्ति के संबंध मे यह कि प्रार्थी खसरा नम्बर 112, 113, 342, 367, 368 का रिकार्डेड खातेदार है, अपनी खातेदारी भूमि का नियमानुसार सीमाज्ञान भी करवाया है, खातेदार को अपनी आराजी की सुरक्षा की दृष्टि से सीमाओं की जानकारी होना आवश्यक है। यदि अप्रार्थीगण का प्रार्थी की आराजी पर कब्जा भी है, तो वह बतौर अतिक्रमी है, जिसे प्रार्थी के हक अधिकारों की रक्षा हेतु हटाया जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थी एवं अन्य खातेदारों के मध्य भविष्य में होने वाले विवाद को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी की जाकर स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित किये जावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थी की वर्णित भूमि ग्राम गुढा बैजनाथपुरा के खसरा नम्बर 112/0.72, 113/0.03, 342/1.78, 367/0.07, 368/0.69 हैक्टेयर किता 5 कुल रकबा 3.29 हैक्टेयर की पत्थरगढी कर, स्थायी सीमांकन चिन्ह स्थापित करावे। मौके पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए अपने स्तर से पुलिस जाप्ता प्राप्त कर, आदेश की पालना सुनिश्चित करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय मजमा–ए–आम कैम्प कोर्ट तालवा दिनांक 04.06..2018 को सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर